# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :-नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

| अपील संख्या | दायर दिनांक | निर्णय |
| --- | --- | --- |
| 5 / 10 | 03.08.2022 | 17.06.2025 |

बउनवान

01. आचुकी चौधरी (नैना) पुत्री राजू जाति जाट निवासी मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर, नाबालिग सरपरस्त हेमलता बेवा राजू माता खुद ।
02. विनय चौधरी (राम) पुत्र राजू जाति जाट निवासी मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर, नाबालिग सरपरस्त हेमलता बेवा राजू माता खुद।
03. नितिन चौधरी (लक्ष्मण) राजू जाति जाट निवासी मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर, नाबालिग सरपरस्त हेमलता बेवा राजू माता खुद।

अपीलान्टान

बनाम

01. ग्राम पंचायत मालाखेडा जिला अलवर जरिये सरपंच ग्राम पचांयत मालाखेडा जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी विरासत इन्तकाल संवत् 2067 दिनांक-20.07.2012 ग्राम पंचायत मालाखेडा

## निर्णय

अपीलान्ट नें अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहत अदालत ने इन्तकाल संख्या 2067 अपीलान्टान व अन्य वारिसान राजू की अदम मौजूदगी में बाला बाला गलत तरीके पर आराजी मुतनाजा का दिनांक 20.07.2012 को कैम्प मालाखेडा में दर्ज किया है। उक्त इन्तकाल के तहत हम अपीलान्टान का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में नैना, विनय व नितिन दर्ज हुआ है जिसका इल्म तब हुआ जब सरपरस्त हेमलता उक्त आराजी पर लोन लेने बैंक गई तब बैंक अधिकारियों ने अपीलान्टान का नाम सही नही होने की जानकारी दी। सरपरस्त हेमलता ने दिनांक 14.07.2022 को उक्त इन्तकाल की नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर दिनांक 22.07.2022 को नकल मिली। नकल मिलने के पश्चात कानूनी सलाह व मश्वरा लिया ओर अपील पेश की। अपील मे हुई देरी की लिये प्रार्थना पत्र जेरदफा -5 कानून मियाद प्रस्तुत कर अपीलान्टान ने कथन किया कि इन्तकाल विरासत नम्बर 2067

आराजी खसरा नंबर 1614 रकबा 0.27 है0, 1965 रकबा 0.14 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 है0, वाके ग्राम मालाखेडा अपीलान्टान के पिता राजू व अन्य वारिसान राजू के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, राजू के स्वर्गवास होने पर राजू की विरासत आराजी मुतनाजा का नैना, विनय, व नितिन व राजू के अन्य वारिसान का इन्तकाल दर्ज व स्वीकार किया है। अपीलान्टान नैना पुत्री राजू, विनय व नितिन पुत्रान राजू घर का नाम है। गांव वालो ने हमारा नाम इन्तकाल विरासत में यही दर्ज करा दिया। जबकि हमारा शैक्षणिक योग्यता व आधार कार्ड वगैरा में आचुकी, राम व लक्ष्मण अंकित है, व हमको घर पर विनय व नितिन पुत्रान राजू के नाम से पुकारा जाता है हम आचुकी पुत्री राजू, राम व लक्ष्मण पुत्रान राजू अपनी माता की सरपरस्ती में रहते है। हम अपीलान्टान अपनी आराजी मुतनाजा पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज व दाखिल है। उक्त विरासत इन्तकाल मे तहत अदालत ने हमारा नाम नैना, विनय व नितिन दर्ज कर दिया जिसे अपास्त कर हमारा नाम नैना, विनय व नितिन के स्थान पर आचुकी चौधरी पुत्री राजू, राम चौधरी पुत्र राजू व लक्ष्मण चौधरी पुत्र राजू दर्ज करने की इस्तदुआ की।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जर्ये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर दिनांक–25.07.2023 को रेस्पोडेन्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार मालाखेडा से मृतक राजू के वारीसान के सही नाम की रिपोर्ट ली गई।

तहसीलदार मालाखेडा ने अपने पत्र क्रमांक–एल.आर.II/2024/602 दिनांक–15.07.2024 मे " विरासत नामान्तरकरण मे अपीलान्टान के घर के बोलते हुऐ नामो को दर्ज कर दिया गया था जो की गलत है और तभी से राजस्व रिकार्ड मे वे नाम चले आ रहे है।"अंकित करते हुऐ नामान्तरकरण संख्या 2067 को रिमान्ड करने की अनुशंषा की है।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र दफा–5 स्वीकार करते हुऐ अपील मन्जूर करने का कथन किया।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 नरम रूख अपनाते हुऐ प्रार्थना पत्र दफा–5 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट ने अपील की ताईद मे जन आधार कार्ड प्रस्तुत किया है। जिसमे अपीलान्टान का नाम आचुकी चौधरी, राम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी के नाम का अंकन है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका प्रस्तुत की है। जिसमे अपीलान्टान का आचुकी चौधरी, राम चौधरी एवं लक्ष्मण चौधरी के नाम का अंकन है। तहसीलदार मालाखेडा ने भी अपनी रिपोर्ट मे अपीलान्टान के नाम नैना पुत्री राजू, विनय व नितिन पुत्रान राजू के स्थान पर आचुकी चौधरी पुत्री राजू, राम चौधरी पुत्र राजू व लक्ष्मण चौधरी पुत्र राजू दुरूस्त करने की अनुशंषा की है। तहत अदालत को आलौच्य आदेश बाबत विरासत इन्तकाल संख्या 2067 दिनांक–20.07.2012 पारित करने से पूर्व मृतक के वारीसान की भली प्रकार जॉच कर आदेश पारित करना चाहिये थे किन्तु तहत अदालत के आलौच्य आदेश मे विधिक प्रक्रिया का अभाव होने पर आलौच्य आदेश प्रथम द्रष्टया अपास्त होने योग्य पाया जाता है।

...जाकर तजबीज

अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलौच्य आदेश विरासत इंतकाल संख्या 2067 दिनांक 20.07.2012 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमान्ड) किया जाता है कि मृतक राजू पुत्र शिम्भुदयाल जाति जाट निवासी मालाखेडा के विधिक वारीसान एवं वारीसान के सही नामो की जॉच कर पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मालाखेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

निर्णय आज दिनाक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा